मानव तस्करी : मध्य प्रदेश के दंपती सहित तीन को 14-14 वर्ष कारावास

नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर : विशेष न्यायाधीश (एनआइए) केएल चरयाणी की अदालत ने मानव तस्करी के आरोपित दंपती सहित तीन को 14 -14 वर्ष कारावास तथा अर्थदंड से दंडित किया है। अभियुक्तों में बिमला यादव जिला जशपुर तथा मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले के ग्राम उदयपुरा थाना बिजावर निवासी नीलू उर्फ निर्मला नायक तथा उसका पति कोमल अहिरवार शामिल हैं। इन्होंने आपराधिक षड्यंत्र रचकर दो नाबालिग बहनों तथा उनके नाबालिग भाई का अपहरण किया था। तीनों को मानव दुर्व्यापार के धंधे में धकेलने दबाव बनाया था।

मामला जशपुर जिले से जुड़ा हुआ है। यहां एक गांव में रहने वाली 14 तथा 12 वर्ष की बहनों और 10 साल के भाई को विमला यादव ने अपने कब्जे में लेकर छतरपुर के अभियुक्तों को सौंप दिया था। तीनों नाबालिग भाई - बहन 12 अप्रैल 2024 को लापता हुए थे। पुलिस का दबाव बढ़ने पर 18 अप्रैल 2024 को बिमला यादव ही तीनों को लेकर पुलिस तक पहुंची थी।